//कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव(छ0ग0)//
फोन नं.07744224056 ई-मेल mdmdeorjn@gmail.com फैक्स नं.07744224056,408626 टोल फ्री नं 18002333158

// प्रपत्र - II //

ज्ञाप क्रमांक / 7949 / शि.का.अधि. / अनु-मान्य. / 2016 / राजनांदगांव दिनांक 30 / 08 / 2016

प्रति,

प्रबंधक श्री प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ समिति

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के तंहत् विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र की तारीख..................के संदर्भ में और इस संबध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मैं प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ को कक्षा चौथी से सातवीं तक तीन वर्षों की अवधि के लिये जो दिनांक 1-7-16 से 30-6-17 तक प्रभावशील रहेगा अनंतिम मान्यता प्रदान करने के लिये संसूचना देता हू।

**उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पुरा किये जाने के अधीन है :-**

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा VII के पश्चात् की मान्यता/संबद्धता करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के संबंधों का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहिन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पुर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2)के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसे प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उनके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:- (एक)प्रवेश दिये गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उस विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।(पांच)अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।(छ.)अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्युनतम अर्हताएं नहीं हैं 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्युनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधिन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे , और(आठ)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

क्रमशः पिछले पृष्ठ पर